95

[2022] 3 एस. सी. आर. 95

ए.

डॉ. जॉय जॉसेफ एंड ओआरएस. वी.

तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। (2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 880) अप्रैल 08,2022

[ए. एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021-ss.8 और 9-मुल्लापेरियार बांध-अंतरिम व्यवस्था जब तक कि 2021 अधिनियम के तहत "नियमित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एन. डी. एस. ए.)" पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं हो जाता है-मुल्लापेरियार बांध जैसे बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के उद्देश्यों के लिए, यू/एस साबित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एन. डी. एस. ए.) पर जिम्मेदारी तय की जाती है।8 2021 के अधिनियम-इस प्रकार साबित प्राधिकरण के कार्यों को एस में लिखा गया है।9 2021 के अधिनियम-एन. डी. एस. ए. के रूप में सभी आवश्यक संगठनात्मक और रसद सुविधाओं के साथ एक नियमित संरचना की स्थापना में हालांकि कुछ और समय लगने की संभावना है-जब तक कि नियमित एन. डी. एस. ए. कार्यात्मक नहीं हो जाता, तब तक पर्यवेक्षी समिति, जैसा कि इस आदेश के संदर्भ में पुनर्गठित किया गया है, 2021 के अधिनियम में निर्दिष्ट सहित बांध की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए जवाबदेह होगी और एन. डी. एस. ए. के कार्यों का निर्वहन करेगी।9 2021 अधिनियम-सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं कि 2021 अधिनियम के तहत नियमित एन. डी. एस. ए. जल्द से जल्द साबित किया जाए।

तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य और अन्र, **(2014) 12**

एससीसी **696:[2014] 12** एस. सी. आर. **875-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2014] 12 एससीआर **875**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 880।

जी.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

2021 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.3924, लेखन याचिका (सिविल) Nos.771 और 2021 की 1225,2022 की लेखन याचिका (सिविल) No.86।

एच.

95 ए.

96

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री ऐश्वर्या भाटी, संजय जैन, ए. एस. जी., वी. कृष्णमूर्ति, ए. ए. जी., जयदीप गुप्ता, शेखर नाफडे, एन. आर. एलंगो, जी. उमापति, डॉ. एस. गोपकुमारन नायर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री मनीषा चावा, रजत नायर, सुश्री वंशजा शुक्ला, अरविंद कुमार शर्मा, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, अनूप आर., डी. कुमानन, सुश्री पवित्रा बालकृष्णन, सुविन कुमारन, सुश्री ऐश्वर्या धासी, सुश्री फराह हाशमी, टी. जी. नारायणन नायर, सूरज टी. इलनजिकल, सुश्री प्रिया बालकृष्णन, अश्विन कुमार एम. जे., विल्स मैथ्यूज, मैथेन जोसेफ, देवेंद्र कुमार तिवारी, राकेश गर्ग, आशीष गोपाल गर्ग, पॉल जॉन एडिसन, नंद राम, सुश्री श्वेता गर्ग, गिनेश पी., वी. के.उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. इन मामलों के लंबित रहने के दौरान, संसद द्वारा "बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 1" शीर्षक से एक नया कानून बनाया गया है, जिसे 13.12.2021 पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे दिनांक 14.12.2021 के राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर नोट के अनुसार, 2021 अधिनियम के लागू होने के लिए निर्धारित तिथि 30.12.2021 के रूप में निर्दिष्ट की गई है।

2. 2021 का अधिनियम उन विषयों से संबंधित है जो वर्तमान याचिकाओं में व्यापक रूप से मुद्दे हैं जैसे कि मुल्लापेरियार बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव जिसमें बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम शामिल है।

जी.

3. 2021 अधिनियम भविष्यवाणी करता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र साबित किया जाए।

1 संक्षेप में, "2021 अधिनियम"

एच.

97

डॉ. जॉय जॉसेफ एंड ओआरएस. वी.तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

ए.

संबंधित बांधों का कार्यकरण और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।धारा 5 राष्ट्रीय समिति के गठन को अनिवार्य करती है जिसे 2021 अधिनियम की धारा 6 में वर्णित कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक है। मुल्लापेरियार बांध जैसे बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के उद्देश्यों के लिए, जो इन कार्यवाही में विषय वस्तु है, 2021 अधिनियम की धारा 8 के तहत साबित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण 2 पर जिम्मेदारी तय की गई है। इस प्रकार साबित प्राधिकरण के कार्यों को 2021 अधिनियम की धारा 9 में वर्णित किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 24 (1) के पहले प्रावधान के आधार पर, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन के रूप में भी कार्य करना होगा और बांध सुरक्षा के संबंध में सभी कर्तव्यों और कार्यों का पालन करना होगा।

4. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि 2021 अधिनियम का विस्तार बहुत व्यापक और व्यापक है, क्योंकि यह मुल्लापेरियार बांध सहित देश भर में निर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के संबंध में सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संबंधित बांधों के सुरक्षित संचालन और उनसे जुड़े मामलों के लिए उचित रखरखाव और संस्थागत तंत्र सुनिश्चित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानकों का भी प्रावधान करता है।

5. मुल्लापेरियार बांध के संबंध में, इस न्यायालय ने अपने फैसले के माध्यम से

"तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य और अन्र" के रूप में शीर्षक। **3** थे।

एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया गया, जिसमें तीन सदस्य थे, अर्थात् केंद्रीय जल आयोग से एक प्रतिनिधि और दोनों राज्यों-तमिलनाडु और केरल से एक-एक प्रतिनिधि।वह समिति तब से संतोषजनक रूप से काम कर रही है और उसे सौंपे गए कार्य का निर्वहन कर रही है, जैसा कि रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैरा 229 और 230 में उल्लेख किया गया है।

6. हालाँकि, 2021 के अधिनियम के लागू होने के बाद, एक वैधानिक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है।हमें सूचित किया गया है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग (सी. डब्ल्यू. सी.) द्वारा एन. डी. एस. ए. का एक अस्थायी ढांचा बनाया गया है। टी-20/2/2021-डी. एस. एम. डी. टी. ई./158-61 दिनांकित 30.03.2022।एन. डी. एस. ए. के रूप में सभी आवश्यक संगठनात्मक और रसद सुविधाओं के साथ एक नियमित संरचना की स्थापना में कुछ और समय लगने की संभावना है।यह वांछनीय होगा कि नियमित एन. डी. एस. ए. स्थापित किया जाए, जो तुरंत निगरानी का कार्य संभाल सकता है।

जी.

2 संक्षेप में "एन. डी. एस. ए". 3 (2014) 12 एस. सी. सी. 696

एच.

ए.

मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण, संचालन और रखरखाव और उस संबंध में कार्यों का निर्वहन, जैसा कि अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट किया गया है, और साथ ही, 2021 अधिनियम के तहत इसमें निवेश की गई सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करता है। उस समय तक, हमें वर्तमान व्यवस्था के साथ जारी रखना पड़ सकता है, जैसा कि रिपोर्ट किए गए निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात् पर्यवेक्षी समिति इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के संदर्भ में उसे सौंपे गए कार्य का निर्वहन करती है।साथ ही, यह व्यापक लोक हित में हो सकता है कि पर्यवेक्षी समिति को इसकी संरचना के संबंध में मजबूत किया जाए, साथ ही

इसके कार्यों के दायरे को एन. डी. एस. ए. के प्रावधानों और शक्तियों के अनुरूप लाया जाए, जैसा कि 2021 अधिनियम में निर्दिष्ट है।

7. चूंकि रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं/आवेदनों के वर्तमान सेट में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें विचाराधीन बांध के निचले इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोग भी शामिल हैं, इसलिए हम 2021 अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में नियमित एन. डी. एस. ए. के कार्यशील होने तक पर्यवेक्षी समिति को मजबूत करने के लिए राज्य पक्षों द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करना उचित समझते हैं, ताकि तब तक पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति सभी कार्यों का निर्वहन करने की स्थिति में हो और उन सभी शक्तियों का भी प्रयोग कर सके जो अन्यथा मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एन. डी. एस. ए. द्वारा प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है, साथ ही बांध विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम भी।

8. मौजूदा पर्यवेक्षी समिति को मजबूत करने के उद्देश्य से, हम पार्टी-राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को भी स्वीकार करते हैं कि दो तकनीकी विशेषज्ञों को मौजूदा पर्यवेक्षी समिति का हिस्सा बनाया जाए, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य से एक-एक, जिन्हें बांध प्रबंधन, जलाशय संचालन, उपकरण आदि में अच्छी तरह से जाना जाना चाहिए।

9. पार्टी-राज्य आज से दो सप्ताह के भीतर अपने तकनीकी विशेषज्ञों को नामित करेंगे।

10. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित इस आदेश के संदर्भ में पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति, जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिपोर्ट किए गए निर्णय में दिए गए निर्देशों का पालन करने के अलावा, 2021 अधिनियम की धारा 9 में वर्णित एन. डी. एस. ए. के सभी कार्यों का भी निर्वहन करेगी और उसी तरह समय-समय पर उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए अपनी सभी (एन. डी. एस. ए.) शक्तियों का भी प्रयोग करेगी।

जी.

11. तमिलनाडु राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि कुछ कार्य लंबित हैं।यह ए राज्य के लिए खुला रहेगा।

एच.

डॉ. जॉय जॉसेफ एंड ओआरएस. वी.तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

तमिलनाडु उन लंबित कार्यों की ओर पुनर्गठित समिति का ध्यान आकर्षित करे।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पर्यवेक्षी समिति उस अनुरोध की उचित जांच करेगी और ऐसा निर्णय लेगी, जो आवश्यक हो।

12. दूसरे शब्दों में, जब तक नियमित एन. डी. एस. ए. कार्यात्मक नहीं हो जाता, तब तक इस आदेश के संदर्भ में पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति, 2021 अधिनियम में निर्दिष्ट सहित बांध की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए जवाबदेह होगी और 2021 अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट एन. डी. एस. ए. के कार्यों का निर्वहन करेगी।

13. हम भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को निर्देश देते हैं कि वह पर्यवेक्षी समिति को सभी रसद सहायता प्रदान करे, ताकि वह अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके और इस आदेश के संदर्भ में शक्तियों का प्रयोग कर सके।

14. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पुनर्गठित पर्यवेक्षी समिति मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से संबंधित सभी बकाया मामलों का फैसला करेगी और नए सिरे से सुरक्षा समीक्षा करेगी।इस उद्देश्य के लिए, यह 2021 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संदर्भ की शर्तों को तैयार कर सकता है।

15. पर्यवेक्षी समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी परिचालन संबंधी मुद्दे के मामले में, संबंधित राज्य का मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा कि पर्यवेक्षी समिति द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्देश (आवश्यक धन निर्धारित करने या रसद सहायता प्रदान करने सहित) को बिना किसी अपवाद के अपने तार्किक उद्देश्य तक ले जाया जाए।

16. दूसरे शब्दों में, मुल्लापेरियार बांध के रखरखाव और इसकी सुरक्षा के उद्देश्य से समय-समय पर पर्यवेक्षी समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का निर्धारित समय में पालन सुनिश्चित करने के लिए पार्टी-राज्यों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए।ऐसा करने में विफलता न केवल इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए उचित कार्रवाई को आमंत्रित करेगी, बल्कि सभी संबंधित 2021 अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आदेश के संदर्भ में पर्यवेक्षी समिति को एन. डी. एस. ए. के सभी कार्यों और शक्तियों का निर्वहन तब तक करने वाला माना जाता है जब तक कि 2021 के

अधिनियम के तहत एक नियमित एन. डी. एस. ए. कार्यात्मक नहीं हो जाता और इस संबंध में इस न्यायालय के आदेश भी।

जी.

17. हम एक आशावादी आशा व्यक्त करते हैं कि सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं कि 2021 अधिनियम के तहत नियमित एन. डी. एस. ए. जल्द से जल्द साबित किया जाए, क्योंकि यह देरी को रोक नहीं सकता है।

एच.

18. पर्यवेक्षी समिति स्थानीय लोगों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन या सुझावों पर भी विचार कर सकती है और समयबद्ध तरीके से उनकी जांच करने के बाद, उचित उपाय कर सकती है, जैसा कि सलाह दी जा सकती है।

19. हम स्पष्ट करते हैं कि राज्य पक्ष द्वारा विशेषज्ञ सदस्य के नामांकन के अभाव में, पर्यवेक्षी समिति इस न्यायालय द्वारा और 2021 अधिनियम के तहत उसे पहले से सौंपे गए कार्य का निर्वहन जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगी।

20. जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह केवल एक अंतरिम व्यवस्था है जब तक कि 2021 अधिनियम के तहत "नियमित एन. डी. एस. ए". पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं हो जाता।

21. पर्यवेक्षी समिति द्वारा अनुपालन-सह-स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अन्य राहतों पर विचार करने के लिए 11.05.2022 पर मामलों को अधिसूचित किया जाए।

22. सुनवाई की अगली तारीख से पहले किसी भी आवश्यकता के मामले में, पक्षकारों/पर्यवेक्षी समिति के लिए यह खुला रहेगा कि वे इस संबंध में औपचारिक आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क करें।

बिभूति भूषण बोस

निर्देश जारी किए गए।

जी.

एच.